न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आरएएस

प्रकरण सं0 : 85/2024

श्रीमान : विमला पत्नी रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा हाल बरनाला रोड़ न्यू एच0बी0 कॉलोनी सिरसा।

:– वादीया

बनाम

1. कुलदीप पुत्र रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रासलाना हाल निवासी बरनाला रोड़ न्यु हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तहसील व जिला सिरसा।
2. किरण पत्नी जयपालसिंह पुत्र अमरजीतसिंह निवासी हाल वार्ड सं0 5 अमरोहा तहसील गढसाहिब जिला जालन्धर पंजाब।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88,89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादीया
वकील श्री सुरेन्द्र मील : प्रतिवादी सं0 1,2

निर्णय

दिनांक : 15.9.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 280/269 के ख0सं0 404/5 की 0.404 है0, ख0सं0 450/3 की 0.291 है0 कुल 0.695 है0 बारानी वादभूमि वादीया के पति रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मृतक रामसिंह के नाम दर्ज वादभूमि में वादीया ने अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीया के दावा को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है तथा वादी के दावा का कोई खण्डन अपने जवाबदावा में नहीं किया है, अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में वादीया विमला पत्नी रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रासलाना के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम रासलाना संवत 2075–78 खाता संख्या 280/269 प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र चित्रप्रति रामसिंह प्रदर्श 2 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र चित्रप्रति विनोद प्रदर्श 3 ए प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा है। वादिया के पति रामसिंह का देहान्त दिनांक 15.01.2021 को हो गया जिस पर रामसिंह के नाम दर्ज वादभूमि वादिया एवं वादिया के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप सिंह एवं विनोद को [illegible] प्राप्त होनी थी परन्तु विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ। इसी दौरान दिनांक [illegible].09.[illegible] को वादिया के पुत्र विनोद का भी देहान्त हो गया जिस पर [illegible] रूप में स्वयं वादिया एवं विनोद की पत्नी प्रतिवादी [illegible] 2 किरण [illegible] विनोद को जो हिस्सा वादभूमि में था वह वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 किरण को [illegible] हो चुका था। वादिया के पुत्र विनोद के देहान्त होने के उपरान्त किरण ने जसपालसिंह के साथ पुनः विवाह कर लिया एंव विवाह के समय ही प्रतिवादी किरण ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादिया एवं प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

Scanned with CamScanner

ंख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री क्ये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत स्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीया ने ग्राम रासलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पति के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद श किया है। वादीया ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व मुत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 व 3ए प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 280/269 के ख0सं0 04/5 की 0.404 है0, ख0सं0 450/3 की 0.291 है0 कुल 0.695 है0 बारानी वादभूमि ादीया के पति रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में रामसिंह का नाम ख़लमजन कर वादीया विमला व प्रतिवादी कुलदीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित क्या जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष ं त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक जवाबदावा के आधार पर ाबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक जवाबदावा के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री क्या जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 280/269 के ख0सं0 404/5 की 0.404 है0, ख0सं0 450/3 की 0.291 है0 कुल 0.695 है0 बारानी वादभूमि ादीया के पति रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में रामसिंह का नाम ख़लमजन कर वादीया विमला व प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप को बहिस्सा बराबर खातेदार ोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादीया व प्रतिवादी ंख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार ंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के पुपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया ावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.9.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय ं सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

प्रकरण सं0 : 85/2024

उनवान :

विमला पत्नी रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रासलाना तहसील भादरा हाल बरनाला रोड़ न्यू एच0बी0 कॉलोनी सिरसा।

:— वादीया

बनाम

1. कुलदीप पुत्र रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रासलाना हाल निवासी बरनाला रोड़ न्यु हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तहसील व जिला सिरसा।
2. किरण पत्नी जयपालसिंह पुत्र अमरजीतसिंह निवासी हाल वार्ड सं0 5 अमरोहा तहसील गढसाहिब जिला जालन्धर पंजाब।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील ादी श्री मुंशीरामं गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय ेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक जवाबदावा डिक्री किया ाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 280/269 के ख0सं0 404/5 की 0.404 है0, ख0सं0 450/3 की 0.291 है0 कुल 0.695 है0 बारानी वादभूमि ादीया के पति रामसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में रामसिंह का नाम लमजन कर वादीया विमला व प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप को बहिस्सा बराबर खातेदार ोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादीया व प्रतिवादी ंख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार ंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया ावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.9.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.10.17 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner